तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा० आवे० सं०-151/25 मनवान - किशनाराम v/s तहसीलदार गिड़ा	
13/01/2026	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली को आज पेशी तारीख पर ली जाकर आदेश जारी करने बाबत प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विपक्षी संख्या- 2, 4 व 5 के अधिवक्ता को दी गई, विपक्षी अधिवक्ता द्वारा No objection किया गया। लिहाजा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पत्रावली आज तलब करने बाबत स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई। तहसीलदार गिड़ा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या- 2, 4 व 5 के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया गया, एवम् विपक्षी संख्या- 3 बावजूद सूचना अनुप० जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की आवेदन व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड एवम् तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट का [illegible] बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वी[illegible] जाकर आदेश अलग से [illegible] पत्रावली किया गया, पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला : बालोतरा	No objection (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 09:40:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी कल्पित शिवरान R.A.S.)

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. आईदानराम पुत्र लुम्भाराम जाति सुथार निवासी नागोणा तला, कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा		1. तहसीलदार, गिड़ा 2. चुतराराम पुत्र लुम्भाराम 3. अजवी पत्नी लुम्भाराम 4. दीपाराम पुत्र लुम्भाराम 5. हमीराराम पुत्र लुम्भाराम जाति सुथार निवासी नागोणा तला, कानोड़ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

निर्णय

दिनांक : 13.01.2026

रा०आवे०सं०-151/25

प्रार्थी की ओर से वकील श्री गणेश गोदारा द्वारा रेकर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नागोणा तला पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 458, 459, 460 रकबा क्रमशः 0.0405, 0.0324, 18.9393 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता लुम्भाराम के पैतृक खातेदारी की थी। जिसमें प्रार्थी के पिता लुम्भाराम के फौत होने पर प्रार्थी व लुम्भाराम के अन्य वारिसों के नाम दर्ज किये गये। परन्तु प्रार्थी का नाम आईदानराम के स्थान पर आदूराम अंकित कर दिया गया। जबकि प्रार्थी को सही नाम आईदानराम है। अतः राजस्व रेकर्ड में आदूराम के स्थान पर आईदानराम दुरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 5 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 2, 4 से 5 की ओर से समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार गिड़ा से जांच रिपोर्ट प्राप्त किये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार गिड़ा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार गिड़ा द्वारा आदूराम के स्थान पर आईदानराम शुद्व किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम आईदानराम ही है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131, 136 के अनुसरण में मौ[illegible] पटवार मण्डल कानोड़ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 458, [illegible] 9393 हैक्टेयर की भूमि में आदूराम पुत्र लुम्भाराम के स्थान पर आईदान[illegible] लुम्भाराम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गिड़ा आदे[illegible]सार राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.04 09:40:56 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु